MOST URGENT

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF POWER)
DELHI SECRETARIAT 8TH LEVEL, B-WING,
I.P.ESTATE NEW DELHI – 110002

No.F.14(180)/ V.S.2023/Power/2436 Dated: 13/12/2023

To

The Dy. Secretary (Legislation),
Question Branch,
Delhi Vidhan Sabha,
Old Secretariat
Delhi – 110054

Sub: Un-Starred Question No.92

Sir,

Please find enclosed copy of reply of the Un-Starred Question No.92 for 18.12.2023 (100 Copies each along with a data in PDF File Format in pen drive) for your kind information and further necessary action at your end please.

Yours faithfully,

Encl. As above

(L.L.MEENA)
Dy. Director (Power)

Copy to:-

1. The Director, Directorate of Information and Publicity Department, Delhi Vidhan Sabha, Old Secretariat, Delhi - 110054 (150 Copies)
2. The OSD to Minister of Power, GNCTD

विभाग का नाम :– ऊर्जा विभाग

विभाग का पता :– आठवां तल, बी विंग, दिल्ली सचिवालय

अतारांकित प्रश्न संख्या–92
दिनाँक :–18.12.2023
प्रश्नकर्ता श्री अभय वर्मा

क्या माननीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

<table>
<tr><th></th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क)</td><td>लक्ष्मी नगर विधानसभा–58 में माननीय मंत्रीजी के वक्तव्य के बाद भी अब तक तीन हजार घरों पर मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत लाइटें नही लगाये जाने के क्या कारण है,</td><td>मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना शहरी विकास विभाग की योजना है यद्यपि संबंधित बिजली वितरण कंपनी बीवाईपीएल ने सूचित किया है कि लक्ष्मी नगर विधान सभा क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए शहरी विकास विभाग द्वारा पूरा फंड जारी करने के उपरांत क्षेत्र में शेष स्ट्रीट लाइट लगा दी जायेंगीं।</td></tr>
<tr><td>ख)</td><td>तीन हजार लाइटो के लिये सरकार द्वारा बीएसईएस को अब तक फंड उपलब्ध नहीं करवाये जाने के क्या कारण है,</td><td>उपरोक्तानुसार</td></tr>
<tr><td>ग)</td><td>बकाया लाइट लगाने के लिये फंड कब तक दिये जाऐगें,</td><td>उपरोक्तानुसार</td></tr>
<tr><td>घ)</td><td>लक्ष्मी नगर विधानसभा–58 में बीएसईएस द्वारा सुलभ व समुचित बिजली देने के संदर्भ में वर्ष 2020, 2021, 2022 और 2023 मे कितने रुपये खर्च किये गये, विस्तृत सूची दी जाए,</td><td>बिजली वितरण कंपनी बीवाईपीएल ने सूचित किया गया विवरण इस प्रकार है
<table>
<tr><th>क्र सं</th><th>वर्ष</th><th>रु (करोड़ मे)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2019–20</td><td>6.91</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2020–21</td><td>5.99</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2021–22</td><td>5.91</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2022–23</td><td>5.47</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>24.27</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ङ</td><td>क्या 17 मीटर से कम ऊँचाई वाले मकानों में बिजली मीटर बिना किसी अनापत्ति–पत्र (एनओसी) के लगाने की कोई योजना बनाई जा रही है,</td><td>डीईआरसी ने सूचित किया है कि भवन की ऊचांई से संबधित प्रावधान शुल्क की अनुसूची और प्रक्रिया (छठा संशोधन) आदेश दिनांक 15/04/2021 मे दिए गए है।
आयोग ने अपने पत्र संख्या एफ,17 (85)/ ईजी/डीईआरसी/2016.17/5403/487 दिनांक 31/05/2019 के माध्यम से एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि वितरण लाईसेंसधारी स्टीलट (Stilt) पार्किंग के बिना 15 मीटर तक की उंचाई और स्टीलट (Stilt) पार्किंग के साथ 17.5 मीटर तक ऊचाई के आवासीय भवन के लिए अग्नि निकासी प्रमाण–पत्र (Fire Clearance certificate) के लिए जोर नहीं देगा। इमारत की ऊचाई की माप दिल्ली के लिए एकीकृत भवन उपनियम , 2016 के खंड 1.4.16 और 7.19 के अनुसार की जाएगी।</td></tr>
<tr><td>च</td><td>यदि हाँ, तो क्या योजना है और नहीं तो योजना नहीं बनाये जाने के क्या कारण हैं,</td><td>उपरोक्तनुसार।</td></tr>
<tr><td>छ</td><td>लक्ष्मी नगर विधानसभा में बिजली के खंभो पर लटके केबल तारों को हटाने के लिये कोई</td><td>जी नहीं।</td></tr>
</table>

	कानून या योजना बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास है	
ज	यदि हाँ, तो क्या योजना है और नहीं तो योजना अब तक नहीं बनाये जाने के क्या कारण हैं,	उपरोक्तनुसार लागू नहीं होता।
झ	क्या सरकार की मुख्य सड़क मार्ग पर बडे ट्रांसफार्मर की जगह छोटा ट्रांसफार्मर लगाने की कोई योजना है, और	जी नहीं।
	यदि हाँ, तो विस्तृत जानकारी दें ?	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता है।

सूचना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित है।

(एल.एल. मीणा)
उप–निदेशक (ऊर्जा)
L. L. Meena
Dy. Director (Power)
GNCTD, Delhi Sectt.